भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 323
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार

323. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार की दर पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी महिला कामगारों को रोजगार प्रदान किया गया;

(घ) क्या सरकार का मनरेगा के अंतर्गत महिला कामगारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हे स्थाई/बैठ कर कार्य करने वाली नौकरी प्रदान करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) एवं (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं और अनुसूची- II, पैरा 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया है और काम की मांग की है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से अधिक रही है। महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से लगातार बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 58.1% हो गई है।

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(घ) और (ड): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि , महिला श्रमिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना के तहत कई प्रावधान किए गए हैं।

इस संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं , वृद्धों, दिव्यांगजनों और दुसाध्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक अलग दर अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि उत्पादक कार्यों के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक है , तो ऐसी स्थिति में कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि कार्यस्थल पर्यवेक्षकों (मेट) में कम से कम 50% महिलाएं अधिमानतः स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों में से होनी चाहिए।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 323 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (आंकड़ा लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	2023-24	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	42.0	41.9	41.9
2	अरुणाचल प्रदेश	1.5	1.3	1.3
3	असम	14.2	17.0	17.0
4	बिहार	30.9	29.0	31.0
5	छत्तीसगढ़	23.7	23.4	24.7
6	गोवा	0.0	0.0	0.0
7	गुजरात	6.3	7.3	7.9

8	हरियाणा	2.9	3.1	2.5
9	हिमाचल प्रदेश	6.1	5.7	5.3
10	जम्मू और कश्मीर	3.8	3.5	3.3
11	झारखंड	11.4	12.3	12.0
12	कर्नाटक	26.9	27.7	27.0
13	केरल	12.8	13.9	14.7
14	लद्दाख	0.2	0.2	0.2
15	मध्य प्रदेश	26.4	28.6	33.0
16	महाराष्ट्र	22.9	18.1	16.5
17	मणिपुर	3.2	2.7	2.0
18	मेघालय	3.4	3.7	3.5
19	मिजोरम	1.1	1.1	1.1
20	नागालैंड	1.1	2.1	2.1
21	ओडिशा	16.5	24.2	24.6
22	पंजाब	6.6	6.7	6.6
23	राजस्थान	50.0	55.0	55.1
24	सिक्किम	0.4	0.4	0.4
25	तमिलनाडु	62.0	65.6	62.6
26	तेलंगाना	24.9	23.6	26.0
27	त्रिपुरा	4.1	4.2	4.1
28	उत्तर प्रदेश	31.8	33.4	32.3
29	उत्तराखंड	3.3	3.7	3.9
30	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	9.8
31	अंडमान और निकोबार	0.0	0.0	0.0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.1	0.0	0.0
33	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
34	पुदुचेरी	0.4	0.5	0.4
	कुल	440.7	459.8	473.0

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)